न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ **(R.A.S.)**

प्रकरण संख्या – 77/2018 प्रार्थना पत्र

GCMS No. - 2018/00471

1. श्री मदन पित लालु गुर्जर निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. गोपाल पिता लालु गुर्जर निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

– प्रार्थी

बनाम

1. रुघनाथ पिता नारायण गुर्जर निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा ।
2. खेमराज पिता किशनलाल गुर्जर निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा।
3. हीरा पिता मोती गुर्जर निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा मृतक के बजाय–
   3/1– राजु पिता हीरा गुर्जर निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
   3/2– चम्पालाल पिता हीरा गुर्जर निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
   3/3– सुरेश पिता हीरा गुर्जर निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
   3/4– गीताबाई बेवा हीरा गुर्जर निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
4. नगजीराम पिता मोती गुर्जर निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा।
5. अमतृराम पिता मोती गुर्जर निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा।
6. गीता पत्नी हीरालाल गुर्जर निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
8. श्री मोहनसिंह पिता चतरभुज जाट निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेडा।

– विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव् – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2– घनश्याम असावा – विपक्षी नं0 1, 3/1 से 3/4, 4, 5, 6

:: निर्णय ::

दिनांक :– 29.12.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजियात वाके मौजा मांगरोल पटवार हल्का मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 702 की नई आराजी नम्बर 357 रकबा 2.67 हैक्टेयर स्थित है। वास्ते साक्ष्य नकल जमाबन्दी पेश है।

2. वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण एवं विपक्षी[illegible] संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की चली आ रही है वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा, विपक्षी नं0 1 से 5 का संयुक्त 1/4 हिस्सा यानि विपक्षी संख्या [illegible] से 3 का 1/16–1/16 एवं विपक्षी संख्या 4 व 5 का संयुक्त 1/16 हिस्सा [illegible] नं0 6, 7 8 व 9 एवं विपक्षी नं0 1 का संयुक्त 1/2 हक हिस्सा है। इसी अनुसार सेटलमेंन्ट से पूर्व राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही थी तथा राजस्व कर्मचारीयों की गलती की वजह से सेटलमेंन्ट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:13:32 IST
Reason: SelfAttested

बाद वादग्रस्त नये आराजी नम्बर 357 जिसके पुराने आराजी नम्बर 1029 है जिसमें राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से प्रार्थीगण का 1/4 हक हिस्सा होते हुए नवीन चालू जमाबन्दी में सेटलमेंन्ट के बाद 1/4 हिस्से के बजाय प्रार्थीगण व विपक्षी नं0 1 का संयुक्त 14/211 हिस्सा गलत रुप से दर्ज कर दिया है उक्त गलती राजस्व रेकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से हुई है इसलिए उक्त इन्द्राज दुरुस्त कर प्रार्थीगण के पूर्व में दर्ज 1/4 हक हिस्सा प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर तरमीम किया जावे। इसलिए प्रार्थीगण के मौके पर कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त किया जावें।

3. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी का प्रार्थीगण के मौके पर काबिज अनुसार नवीन राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण का 1/4 हक हिस्सा पुराने राजस्व रेकार्ड अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर तरमीम किया जावें।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2 बाबजूद तामिल अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 1 , 3/1 से 3/4,4,5,6 की और से अधिवक्ता श्री घनश्याम असावा ने वकालतनामा मय ईकबाली जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। विपक्षी संख्या 8 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब बन्द किया गया। विपक्षी संख्या 7 तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपनी जांच रिपोर्ट में अवगत कराया कि गत भू प्रबन्ध रोटेशन सम्वत 2018–21 के दोहराने उक्त प्रश्नगत आराजी गिरधारी पिता खेमराज, मोती पिता ऊंकार गुर्जर के नाम दर्ज रेकार्ड थी । खाते में हिस्सा दर्ज था किन्तु केवल दो ही नाम अंकन होने से स्वभाविक हिस्सा 1/2–1/2 होता है। रोटेशन 2022–25 एवं 2058–61 का अवलोकन करने से खातेदारान का विरासत का सजरा निम्नानुसार पाया गयाः–

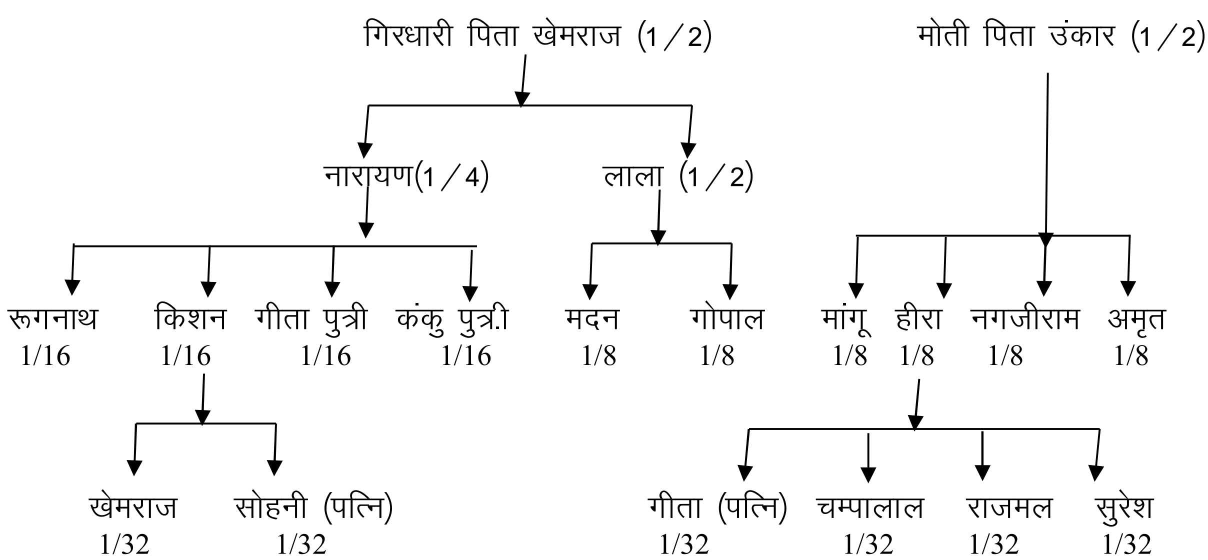

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:13:32 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रश्नगत आराजी में गत साबिक खाता मांगू पिता मोती द्वारा अपना 12/211 हिस्सा श्रीमाति गीता पत्नि हीरा गुर्जर एवं अपना 14/211 हिस्सा श्री रूगनाथ पिता नारायण को विक्रय किया गया शेष 3/1688 हिस्सा मांगू पिता मोती के शेष रहा। भू प्रबन्ध बाद जमाबन्दी आधार वर्ष में निम्नानुसार हिस्सा खाता दर्ज हुआ रूगनाथ,गीता,कंकू पिता नारायण 3/8, खेमराज पिता किशना,मु0 सोहनी पत्नि किशना 1/8, मदन,गोपाल पिता लालु, मांगू 14/211, हीरा 26/211, नगजीराम

26/211 ,अमृतराम 26/211 पिता मोती,गीता पत्नि हीरालाल 12/211 गुर्जर दर्ज हुआ जो सजरा अनुसार हिस्सा त्रुटिपूर्ण दर्ज होना जांच में जाहिर आया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के प्रकरण संख्या 235/2017 में न्यायालय आदेश दिनांक 18.01.2018 से आराजी नम्बर 357 में दर्ज खातेदार रघुनाथ, गीता, कंकू पिता नारायण , खेमराज पिता किशना मु0 सोहनी पत्नि किशना में गीता, कंकू व सोहनी के नाम विलोपीत कर उपरोक्त का हिस्सा रघुनाथ के 1/4 व खेमराज के 1/4 नाम संयुक्त दर्ज के आदेश हुए जो पूर्व में दर्ज त्रुटिपूर्ण हिस्सा होने से गलत हिस्सा दर्ज हो गया। तहसीलदार निम्बाहेडा ने रिपोर्ट अनुसार निम्नानुसार संशोधित प्रस्ताव पेश किया

क्र0स0	नाम खातेदार	खाता संख्या	आराजी नम्बर	वर्तमान दर्ज हिस्सा	प्रस्तावित हिस्सा
1	रूगनाथ पिता नारायण गुर्जर			1384/5064	323/1688
2	मोहन सिंह पिता चतरभूज जाट			1/4	1/8
3	मदन पिता लालू गुर्जर	675	357	115/5064	1/8
4	गोपाल पिता लालू गर्जर			115/5064	1/8
5	मांगू पिता मोती गुर्जर			0	3/1688
6	नगजीराम पिता मोती			1/8	1/8
7	अमृतराम पिता मोती			1/8	1/8
8	गीता पत्नि हीरा गुर्जर			595/6752	595/6752
9	चम्पालाल पिता हीरा			1/32	1/32
10	राजमल पिता हीरा			1/32	1/32
11	सुरेश पिता हीरा			1/32	1/32

5. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम मांगरोल पटवार हल्का मांगरोल की जमाबन्दी संवत् 2072–2075 की खाता संख्या 702 की आराजी 357 रकबा 2.6700 हैटैयर, आराजी नम्बर 703 रकबा 410,414,415,538 किता–4 कुल रकबा 2.7200 हैक्टैयर, जमाबन्दी संवत् 2018–2021 की प्रति, जमाबन्दी संवत् 2058–2061 की प्रति पेश की है।

6. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:13:32 IST
Reason: SelfAttested

7. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties***

8. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

9. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट एवं बहस में प्रकट तथ्यों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीगण का संयुक्त 1/4 हिस्सा यानि मदन पिता लालू का 1/8 एवं गोपाल पिता लालू का 1/8 तथा विपक्षी नं0 1 रूघनाथ पिता नारायण का विरासत से 1/8 तथा खरीद शुदा 14/211 यानि कुल 323/1688, खेमराज पिता किशनलाल द्वारा अपने 1/8 हिस्से की भूमि को मोहनसिंह पिता चतरभूज जाट को विक्रय कर देने से उक्त 1/8 हिस्सा मोहनसिंह के तथा विक्रय के पश्चात मांगू पिता मोती का 3/1688 तथा नगजीराम पिता मोती का 1/8 हिस्सा , अमृतराम पिता मोती का 1/8 हिस्सा तथा गीता पत्नि हीरालाल का 1/32 विरासत से तथा 12/211 हिस्सा क्रय से कुल 595/6752 हिस्सा तथा चम्पालाल पिता हिरा का 1/32, राजमल पिता हीरा 1/32, सुरेश पिता हीरा 1/32 नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर तरमीम किया जाना

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि वाके मौजा मांगरोल पटवार हल्का मांगरोल तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 702 की नई आराजी नम्बर 357 रकबा 2.67 हैक्टेयर स्थित भूमि में निम्नानुसार संशोधन के आदेश दिये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:13:32 IST
Reason: SelfAttested

क्र0स0	नाम खातेदार	खाता संख्या	आराजी नम्बर	वर्तमान दर्ज हिस्सा	संशोधित प्रस्तावित हिस्सा
1	रूगनाथ पिता नारायण गुर्जर			1384/5064	323/1688
2	मोहन सिंह पिता चतरभूज जाट			1/4	1/8
3	मदन पिता लालू गुर्जर	675	357	115/5064	1/8
4	गोपाल पिता लालू गर्जर			115/5064	1/8
5	मांगू पिता मोती गुर्जर			0	3/1688
6	नगजीराम पिता मोती			1/8	1/8
7	अमृतराम पिता मोती			1/8	1/8
8	गीता पत्नि हीरा गुर्जर			595/6752	595/6752
9	चम्पालाल पिता हीरा			1/32	1/32
10	राजमल पिता हीरा			1/32	1/32
11	सुरेश पिता हीरा			1/32	1/32

उपर्युक्तानुसार संशोधित प्रस्तावित हिस्सा अंकित अनुसार राजस्व रेकार्ड में तरमीम की जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया

(रमेश सीरवी पुनाड़ियॉ)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:13:32 IST
Reason: SelfAttested